# उपभोक्ताओं के लिए जानकारी - अपने अधिकार जानें

**मई 2025**

जो लोग अनिवार्य मानसिक स्वास्थ्य उपचार के आदेश पर हैं उन्हें Victorian Mental Health and Wellbeing Act 2022 [विक्टोरियाई मानसिक स्वास्थ्य तथा सकुशलता अधिनियम 2022] के तहत कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों में शामिल है:

* **यह सूचित किए जाने का अधिकार कि आपको अनिवार्य आदेश पर क्यों रखा गया है।**
* अपने उपचार के संबंध में निर्णय लेने की **क्षमता है, यह मान लिए जाने** का अधिकार। इसका मतलब है:
* जहाँ भी संभव हो उपचार के लिए आपकी, पूर्ण जानकारी के साथ सहमति अवश्य माँगी जाए
* आप इलैक्ट्रोकन्वल्सिव [विद्युत-आक्षेपी] उपचार (ECT) के लिए मना कर सकते हैं, जब आपमें यह निर्णय लेने का सामर्थ्य हो।
* अपने मानसिक स्वास्थ्य आकलन, उपचार, तथा स्वास्थ्य लाभ से संबंधित **निर्णयों में सम्मिलित किए जाने और सहयोग किए जाने** का अधिकार, इसमें निम्नांकित भी शामिल है:
* आपके विचारों और प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाना
* निर्णय करने के लिए आपको अनुचित दबाव या ज़बरदस्ती किए बिना पर्याप्त समय दिया जाना
* अपने उपचार के विकल्पों के बारे में अपने मनोचिकित्सक से चर्चा करने का अवसर मिलना
* अन्य प्रकार की सलाह या सहायता पाने में सहायता प्राप्त होना
* सम्बद्ध सूचना और अपने अधिकारों को समझने और अपने विचारों, प्राथमिकताओं, प्रश्नों, या निर्णयों को प्रकट करने सहित निर्णय करने या **निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए यथोचित सहायता प्रदान किए जाने का अधिकार**।
* **आपसे इस तरह से संवाद किए जाने का अधिकार जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो,** जैसे कि आपकी पसंद की भाषा में, शारीरिक या संवेदनात्मक रूप से उचित वातावरण में, तथा आप अपने परिवार के सदस्यों, स्वजनों, देखभालकर्ताओं, सहायकों, या पक्ष-समर्थकों से बात कर सकें इसके लिए उचित स्थानों की उपलब्धता।
* **आपके उपचार के बारे में आपको सूचित किए जाने का अधिकार,** जिसमें निम्नांकित का वर्णन किया जाना भी शामिल है:
* कोई भी प्रस्तावित उपचार, उसका उद्देश्य, उसके लाभ, और उसके नुक़सान (उदाहरण के लिए, जोखिम या साइड इफेक्ट्स)
* अन्य उपलब्ध उपचार, उसके लाभ और नुक़सान।

यह जानकारी इस तरीके से दी जानी चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए और जो आपके प्रश्नों के उत्तर दे। आप इस जानकारी को लिखित में पाने का अनुरोध कर सकते हैं या अगर आपको आवश्यकता हो तो एक दुभाषिए के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

* आपके जिस उपचार और स्वास्थ्य लाभ में कुछ हद तक जोखिम हो उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार।.
* आपके उपचार के संबंध में आपकी प्राथमिकताओं, स्वास्थ्य लाभ के लक्ष्यों और उपलब्ध वैकल्पिक उपचारों पर विचार करते हुए, **जितना संभव हो उतने कम प्रतिबंधात्मक तरीके से कम से कम प्रतिबंधात्मक उपचार पाने** का अधिकार:
* कम से कम प्रतिबंधात्मक का मतलब है कि आपको अपनी निजी परिस्थितियों के आधार पर, **हो सके उतनी** स्वतंत्रता देना आवश्यक है। एक व्यक्ति के लिए जो प्रतिबंधात्मक होता है, हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिबंधात्मक न हो।
* आपको उपचार के लिए अस्पताल में केवल तभी रखा जा सकता है जब आपका **समाज में रहते हुए उपचार नहीं किया जा सकता है**।
* अनिवार्य उपचार का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, अगर इस बात की संभावना है कि उपचार से **संभावित हानि** उससे हो सकने वाले बचाव से अधिक हो सकती है।
* **एकांत या बंधन** में तभी रखा जाए जब सभी कम प्रतिबंधात्मक विकल्पों को आजमा लिया गया हो या उनके बारे में सोचविचार कर लिया गया हो।
* **सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने का अधिकार,** इसमें निम्नांकित भी शामिल हैं:
* आपकी लैंगिक पहचान, यौन रुझान, लिंग (स्त्री पुरुष या अन्य), एथनिसिटी (जातियता), भाषा, रेस (नस्ल), धर्म (आस्था या आध्यात्मिकता), वर्ग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, अक्षमता, न्यूरोडायवर्सिटी (मस्तिष्क के काम करने से संबंधित विविधताएँ) सँस्कृति, निवास स्थिति तथा भौगोलिक असुविधा को स्वीकारा जाना और उनका समाधान किया जाना
* आपकी चिकित्सीय तथा अन्य **स्वास्थ्य आवश्यकताओं** को स्वीकारा जाना और उनका समाधान किया जाना
* आपकी **गरिमा, स्वायत्तता और अधिकारों** का सम्मान हो और उन्हें बढ़ावा दिया जाना
* आपके **स्वास्थ्य लाभ** और सामाजिक जीवन में पूर्ण भागीदारी में सहयोग करने वाली मानसिक स्वास्थ्य तथा सकुशलता सेवाएँ प्राप्त करना
* अगर आप **प्रथम राष्ट्रों** के व्यक्ति हैं तो आपकी विशिष्ट **सँस्कृति और पहचान** का सम्मान किया जाना, इसमें शामिल है:
* ऐसे आकलन और उपचार का अधिकार जो आपके **आत्म-निर्णय** को बढ़ावा देता हो
* आपके परिवार, स्वजनों, समुदाय, भूभाग, तथा जल-क्षेत्रों से आपके **जुड़ाव** का आदर किया जाए।
* अपनी मानसिक स्वास्थ्य तथा सकुशलता सेवा से *मानसिक स्वास्थ्य तथा सकुशलता अधिनियम* *2022* के अंतर्गत **अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना,** इसमें शामिल है:
* उचित समय पर एक **लिखित वक्तव्य** तथा **मौखिक वर्णन**
* **अपने** उन **प्रश्नों के उत्तर** जो हो सके उतने संपूर्ण और स्पष्ट हैं।
* **अपनी स्वास्थ्य संबंधी और व्यक्तिगत जानकारी को सटीकता से और सम्मानपूर्वक दर्ज करवाने का अधिकार:**
* आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को **ठीक** करने के लिए कह सकते हैं
* अगर मानसिक स्वास्थ्य तथा सकुशलता सेवाएँ आपके अनुरोध को अस्वीकार कर देती हैं, तो आप एक **स्वास्थ्य सूचना वक्तव्य** तैयार कर सकते हैं जिसमें यह बताया गया हो कि आप क्या परिवर्तन करवाना चाहते हैं। इसे आपकी फाइल में शामिल किया जाना अनिवार्य है।
* **अपनी प्राथमिकताओं का अग्रिम वक्तव्य तैयार करने का अधिकार, इस वक्तव्य में आपके मानसिक स्वास्थ्य के उपचार, देखभाल, तथा सहायता प्राथमिकताओं का वर्णन होना चाहिए:**
* आपके मनोचिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह आपकी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे
* अगर आपका मनोचोकित्सक आपके वक्तव्य में बताया गया आपकी पसंद का कोई उपचार नहीं करता है, तो उन्हें आपको 10 कार्य दिवसों में लिखित रुप से यह बताना होगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता है।
* ऐसा **नामांकित सहायता व्यक्ति नियुक्त करने** का अधिकार, जो आपकी सहायता कर सकता हो, आप जो चाहते हैं उसका पक्षसमर्थन कर सकता हो, जानकारी हासिल करने में आपकी सहायता कर सकता हो, और आपके अधिकारों का प्रयोग करने में आपकी मदद कर सकता हो।
* ऐसे समय भी होते हैं जब आपके द्वारा नामांकित व्यक्ति को आपके उपचार के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक होता है।
* किसी अन्य मनोचोकित्सक की राय लेने का अधिकार:
* किसी भी मनोचिकित्सक से, इसमें उस मानसिक तथा सकुशलता सेवा के अन्य मनोचिकित्सक की राय लेना भी शामिल है जहाँ आपका उपचार किया जा रहा है अथवा निःशुल्क और स्वतंत्र, Second Psychiatric Opinion Service [सेकंड मनोचिकित्सक राय सेवा] से राय लेना भी शामिल है
* यदि आपका मनोचिकित्सक, किसी अन्य मनोचिकित्सक द्वारा बदलाव की सभी सिफारिशों को नहीं अपनाता है, तो उन्हें इसका कारण बताना होगा। आपको यह स्पष्टीकरण 10 कार्य दिवसों में लिखित में मिल जाना चाहिए। आपको अपने मुख्य मनोचिकित्सक से यह पूछने का भी अधीकार है कि वह आपके उपचार की समीक्षा करे।
* **बातचीत में सहायता** **का अधिकार।** यदि सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हो तो जब आप अस्पताल में हों तो बातचीत का आपका अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है:
* यदि आपकी बातचीत पर प्रतिबंध लगाया जाता है,तो यह बात लिखित में बताना आवश्यक है।
* लेकिन, किसी **वकील, मानसिक स्वास्थ्य पक्ष-समर्थक, मानसिक स्वास्थ्य तथा सकुशलता आयोग, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मुख्य मनोचिकित्सक,** या **Office of the Public Advocate** **[जन पक्ष-समर्थक कार्यालय] के सामुदायिक विज़िटर** से संपर्क करने के लिए आप पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
* क़ानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए किसी **वकील** से बातचीत करने का अधिकार।
* पक्ष-समर्थन के लिए सहायता माँगने हेतु **IMHA के पक्ष-समर्थक** से बातचीत करने का अधिकार। जब आपको अनिवार्य उपचार प्राप्त हो रहा होगा तो मुख्य बिंदुओं पर IMA को सूचित किया जाएगा। IMHA आपसे संपर्क करेगा बशर्ते कि आपने उनसे संपर्क न करने के लिए कहा हो।
* किसी पक्ष-समर्थक, सामुदायिक विज़िटर या आपके द्वारा चुने गए किसी अन्य व्यक्ति से **सहायता माँगने** का अधिकार।
* मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में सुनवाई का अनुरोध करके **अनिवार्य उपचार के लिए आदेश के विरुद्ध अपील** करने का अधिकार:
* आप किसी वकील या अन्य व्यक्ति से, मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में सुनवाई के समय आपका प्रतिनिधित्व या सहायता करने का अनुरोध कर सकते हैं।
* **किसी मानसिक स्वास्थ्य तथा सकुशलता सेवा के बारे में**, उस सेवा से और/या मानसिक स्वास्थ्य तथा सकुशलता आयोग से **शिकायत करने** का अधिकार। इसमें मानसिक स्वास्थ्य तथा सकुशलता सिद्धांतों के बारे में, या इन सिद्धांतों का पालन न किए जाने के बारे में शिकायत करना शामिल है।

# IMHA के बारे में

IMHA की सेवाएँ स्वतंत्र, निःशुल्क और गोपनीयता बरतने वाली होती है।

अगर आप अनिवार्य उपचार प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे IMHA पक्ष-समर्थक:

* आप क्या चाहते हैं यह सुन सकते हैं और आपके विकल्पों के बारे में आपसे बात कर सकते हैं
* आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए जानकारी और सहायता दे सकते हैं
* आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि आप अपने उपचार और स्वास्थ्य लाभ से जुड़े मामलों में सम्मिलित हो सकें
* आपको अगर आप चाहें तो आपको अन्य सेवाओं के पास रेफर कर सकते हैं

# IMHA से संपर्क कैसे करें तथा अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें

आप:

* वेबसाइट [www.imha.vic.gov.au](http://www.imha.vic.gov.au) पर जा सकते हैं
* contact@imha.vic.gov.au पर ईमेल भेज सकते हैं
* IMHA की फ़ोन लाइन को **1300 947 820** पर फ़ोन कर सकते हैं, जहाँ IMHA
पक्ष-समर्थक (एडवोकेट्स) कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं सवेरे 9:30 से दोपहर
4:30 तक सप्ताह में सात दिन (सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर)
* अपने अधिकारों के बारे में रिकार्डिंग सुनने के लिए IMHA की अधिकारों की लाइन
को **1800 959 353** पर फ़ोन कर सकते हैं
* किसी मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, देखभालकर्ता, स्वजन या अन्य सहायक व्यक्ति से, IMHA से संपर्क करने में सहायता करने के लिए कह सकते हैं
* यदि आप IMHA के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं या शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करें, या हमारी वेबसाइट के शिकायतें तथा फीडबैक सेक्शन में जाएँ।

